



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, rj-slsa@nic.in, rslsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

: F-4(153)/रालसा/डीएसएडीआर/परिपत्र/2017/ 4

दिनांक: 06-10-2017

परिपत्र

विषय:— मासिक लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध में।

इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक रालसा/परिपत्र/1/2015 दिनांक 24.01.2015 के अनुक्रम में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मासिक लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं—

1. प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा बैंच का गठन आवश्यक रूप से किया जाए।
2. बैंच के गठन में यह ध्यान रखा जावे कि बैंच का अध्यक्ष प्रथमतः किसी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जावे और उसके उपलब्ध नहीं होने पर सेवारत न्यायिक अधिकारी को शामिल किया जावे।
3. चूंकि प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। अतः सेवारत न्यायिक अधिकारी से अपेक्षा है कि वह उस दिन की दैनिक वाद सूची (Cause List) का संधारण इस प्रकार से करें कि मध्यान्ह पश्चात उसको लोक अदालत के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति से भी यह अपेक्षा है कि वे रैफर किए गए प्रकरणों की संख्या और प्रकृति को देखते हुए एक बैंच में यथासंभव एक ही प्रकृति के अधिकतम 25 मामले रखें, ताकि पक्षकारों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक इन्तजार नहीं करना पड़े और लोक अदालत की बैंच को भी राजीनामे की समझाइश/सुलह वार्ता हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

06-10-17



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, ri-slsa@nic.in, rlsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

5. इस मासिक लोक अदालत के अतिरिक्त (राष्ट्रीय लोक अदालत या विशेष प्रकृति के प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष परिस्थितियों में गठित लोक अदालत को छोड़कर) किसी अन्य लोक अदालत का गठन माह में नहीं किया जाना है।
6. यदि कोई प्रकरण पक्षकारों के द्वारा स्वयंमेव किए गए राजीनामा/जुर्म स्वीकारोक्ति/बिना प्रयास के राज्य सरकार द्वारा वापस लिए जाने पर/ प्रशासनिक स्तर पर अभियान के तौर पर निस्तारित होता है तो उन प्रकरणों को किसी भी स्थिति में लोक अदालत के आकड़ों में शामिल नहीं करना है।
7. पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय की डाइस पर बैठकर औपचारिक गणवेश में लोक अदालत की कार्यवाही संपादित नहीं करनी है, बल्कि न्यायालय कक्ष या अन्य उचित स्थान पर बेंच के सदस्यों के साथ गरिमामय परिधान पहनकर अनौपचारिक वातावरण में लोक अदालत की कार्यवाही संपादित करनी है, ताकि पक्षकार अपनी बात खुले दिल से कर सकें।
8. यदि लोक अदालत के दिन पक्षकार के साथ उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में पक्षकार की पहचान सत्यापित होने के उपरान्त ही लोक अदालत की कार्यवाही सम्पादित की जावे।
9. जब प्रकरण में पक्षकारों के द्वारा न्यायालय फीस अदा की है और उस प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से होता है तो ऐसी स्थिति में उस पक्षकार को उसकी कोर्ट फीस वापस लौटाई जानी होती है। अतः ऐसी स्थिति में पंचाट में इस बात का उल्लेख आवश्यक रूप से हो कि पक्षकार अपनी कोर्ट फीस वापसी का हकदार है तथा न्यायालय शुल्क वापसी का प्रपत्र भी जारी किया जाए।
10. यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखा जाए कि लोक अदालत की बेंच का अध्यक्ष लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी की हैसीयत से कार्य नहीं कर रहा है। अतः पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के अतिरिक्त कोई भी अन्य बिन्दु न्यायिक आदेश की तरह पंचाट में अंकित नहीं किया जाए।

5/5/2017



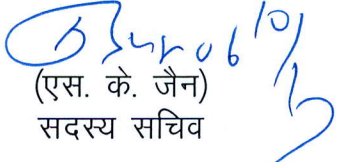
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: dsapadr@gmail.com, ri-slsa@nic.in, rlsaip@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

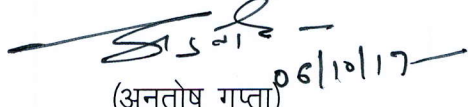
11. लोक अदालत की बैंच के द्वारा आपसी राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। अतः लोक अदालत की बैंच से यह भी अपेक्षा है कि वह उसके समक्ष रखे गए प्रकरण के सुलहपूर्ण निपटारे के लिए किसी भी प्रकार का प्रपीडन, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के बिना प्रकरण को निस्तारित करने का सद्भाविक प्रयास करेगी।
12. यदि किसी बैंच के समक्ष दोनों पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा होता है तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बैंच ऐसे समझौते के आधार पर लिखित में पंचाट जारी करें। केवल मौखिक रूप से पक्षकारों को संतुष्ट करने की औपचारिकता ना करें तथा साथ ही उस पंचाट की प्रमाणित प्रति प्रत्येक पक्षकार को उसी दिन आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति का यह दायित्व है कि वे न्यायालयों से प्राप्त सभी सूचनाओं का विधिक प्रावधानों के तहत परीक्षण कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही सूचनाएँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करें।

उक्त दिशा-निर्देश जारी कर सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि लोक अदालतों का आयोजन विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही किया जावे।


(एस. के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांक: F-4(153)/रालसा/डीएसएडीआर/परिपत्र/2017/23678-23719 दिनांक: 06.10.2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है—

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस निवेदन कि साथ प्रेषित है कि वे इस परिपत्र की प्रति न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय/विशेष न्यायालय/अधिकरण/ जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच को प्रेषित कर परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/एक्शन प्लान एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
4. उप सचिव, प्रशासन (गैर न्यायिक), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय हाजा।


(अनुतोष गुप्ता)
उप सचिव
एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर